# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)

मूल वाद सं– 37/20

1. जोगेन्द्र सिंह
2. मुनीश

पुत्रगण कप्तान सिंह जातिगण वघेल निवासी वार्ड स0 22 राजाखेडा जिला धौलपुर

------ वादी

बनाम

1. कालीचरन पुत्र सोनपाल
2. छोटेलाल
3. योगेश
4. राहुल

पुत्रगण बसन्तलाल नाबालिग जरिये सरपरस्त पिता बसन्तलाल जाति वघेल

समस्त निवासीगण वार्ड न0 22 कस्वा महदवार तह0 राजाखेड़ा

5. श्रीमान् निबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजाखेड़ा जिला धौलपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजाखेडा व हैसियत लेण्ड होल्डर

................प्रतिवादीगण

दावा– विभाजन काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति :–

3. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव, वादी
4. विद्वान अधिवक्ताः– श्री प्रेम सिंह राघव, प्रतिवादी

## निर्णय

मूल वाद सं. 37/20 दिनांक :– 13.08.2022

वादी ने यह वाद बटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादित आराजी गाँव महदवार न0 2 राजाखेड़ा में स्थित है। आराजीत ख.नं0 4074 रकवा 0.1518 हैक्टे. 4075 रकवा 0.2150 , ख0 नं0 4105 रकवा 0.0885, ख0नं0 4106 रकवा 0.3794, खं0नं0 4107 रकवा 0.1265, खं0नं0 4108 रकवा 0.2150, ख0नं0 4109 रकवा 0.3162, रकवा 4110 रकवा 0.1644 ख0नं0 4111 रकवा 0.2529, ख.न. 4112 रकवा 0.3920, ख.न. 4113 रकवा 0.3035, ख0नं0 4114 रकवा 0.1644, ख0नं0 4115 रकवा 0.2150 कुल किता 13 कुल रकवा 2.9846 हैक्टेयर बाके ग्राम महदवार नं0 2 राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में स्थित है जिसमें वादीगण 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज है। विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी काश्त एवं वास्तविक कब्जे की है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण निहायत ही सीधा–सादा व्यक्ति है। प्रतिवादीगण 1 लग0 4 निहायत ही झगडालू व्यक्ति है वादीगण को संयुक्त कब्जा काश्त में बादा पैदा करने, किसी लठ्ठबाज व्यक्ति को रहन वय करने, रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बदलने की खुले आम धमकी दी है। प्रतिवादीगण 1 लग0 4 आपस में साज किये हुये है वादीगण को संयुक्त कब्जा काश्त में बाधा पैदा करने रहन, वय, करने रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बदलने की खुलेआम धमकी दी है एक सप्ताह पूर्व का वाक्या है वादीगण विवादित आराजीयात की देखभाल कर रहें थें। इतने में ही प्रतिवादीगण 1 लग0 4 मौके पर आ गये और बोले कि हम तूम्हे काश्त नहीं करने देगें हर हाल में विवादित आराजीयात को किसी लठ्ठबाज व्यक्ति को रहन, वय, कर देगें। तो तुम्होरे हिस्से की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेगा। ऐलानियॉ कब्जा काश्त में बाधा पैदा करने , रहन, वय, करने एवं रिकार्ड मौके की यथा स्थिति बदलने की

खुलेआम धमकी दी जब वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लग0 4 से बाहमी बटवांरा करने को कहा तो सभी स्पष्ट इन्कारी हो गये उपरोक्त धमकी के कारण वादकरण पैदा हुआ है। विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर खाता व लगान पृथक से कायम किया जावें प्रतिवादी सं. 1 लगयात 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादी के हिस्से की आराजी में कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें। खेत जोतने बोने से नहीं रोके किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ल0 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 6 न्यायालय में उपस्थित आये। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ल0 4 की सहमति के आधार पर वादी का वाद दिनांक 27.01.2021 को प्रारम्भिक डिकी किया गया था कि वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर प्रारम्भिक डिकी के अनुसार तहसीलदार राजाखेडा से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये थे। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपने पत्रांक एल.आर./22/922 दिनांक 12.03.2022 को कुर्रेजात प्रस्ताव दिये गये है जिन पर अभिभाषक को सुना गया। उनके द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा दावा मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किये जाने बाबत् निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात प्रस्ताव पर गौर किया। हम मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव दावा अंतिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव विवादित आराजी स्थित कस्वा महदवार न0 2 का निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिकी किया जाता है कि – आराजी खसरा न0 4074/1 रकवा 0.0885 किस्म बा.प्र. लगान 0.04, ख.न. 4075/2 रकवा 0.0338 किस्म बा.प्र. लगान 0.02, ख.न. 4111 रकवा 0.2529 किस्म बा.गो. लगान 0.06, ख.न. 4110 रकवा 0.1644 किस्म बा.गो. लगान 0.04, ख.न. 4109/1 रकवा 0.0759 किस्म बा.गो. 0.02, ख.न. 4114 रकवा 0.1644 रकवा बा.प्र. लगान 0.07 व ख.न. 4115 रकवा 0.2150 किस्म बा. प्र. लगान 0.07 कुल किता 7 कुल रकवा 0.9949 कुल लगान 0.32 कालीचरन पुत्र सोनपाल जाति गडरिया सा. देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। ख.न. 4074/3 रकवा 0.0127 किस्म बा.प्र. लगान 0.01, ख.न. 4075/3 रकवा 0.1096 किस्म बा.प्र. लगान 0.05, ख.न. 4105 रकवा 0.0885 किस्म बा.प्र. 0.04, ख.न. 4106 रकवा 0.3794 किस्म बा.प्र. लगान 0.17, ख.न. 4107 रकवा 0.1265 किस्म बा.प्र. लगान 0.06, ख.न. 4108/1 रकवा 0.0822 रकवा बा.प्र. लगान 0.04, ख.न. 4112/1 रकवा 0.1960 किस्म बा.गो. लगान 0.05 कुल किता 7 कुल रकवा 0.9949 कुल लगान 0.42 छोटेलाल, योगेश, राहुल नाबालिग पुत्रान बसन्तलाल हि0 व कौम गडरिया सा. देह खातेदार नाबा. सरपरस्त पिता खुद के हिस्से व कब्जे में रहेगी। ख.न. 4074/2 रकवा 0.0506 किस्म बा.प्र. लगान 0.02, ख.न. 4075/2 रकवा 0.0716 किस्म बा.प्र. लगान 0.04, ख.न. 4112/2 रकवा 0.1960 किस्म बा.गो. लगान 0.05, ख.न. 4113 रकवा 0.3035 किस्म बा.प्र. लगान 0.14, ख.न. 4108/2 रकवा 0.1328 किस्म बा.प्र. लगान 0.06 तथा ख.न. 4109/2 रकवा 0.2403 किस्म बा.गो. लगान 0.06 कुल किता 6 कुल रकवा 0. 9948 कुल लगान 0.37 जोगेन्द्रसिंह नाबा. मुनीश पुत्रान कप्तानसिंह हि व कौम गडरिया सा. देह खातेदार नाबालिग सरपरस्त माता खुद के हिस्से व कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगें। फायनल डिक्री नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)